



"Under jurisdiction of Raigarh Court only"
साउथईस्टर्नकोलफील्ड्सलिमिटेड
SOUTH EASTERN COAL FIELDS LIMITED
एक मिनीरतनाकंपनी-A MINIRATNA COMPANY
CIN: U10102CT1985GOI003161
(A Subsidiary of Coal India Limited)
Regd. Office: SEEPAT ROAD, BILASPUR (CG) 495006
Website: www.secl.gov.in

Office of the Dy.G.M.(Min)/Sub Area Manager
CHHAL SUB AREA, RAIGARH AREA
At/PO: Chhal, Distt: Raigarh
Chhattisgarh PIN -496665
Phone - 07766-277625
Fax -07766-277629
Email- samchhalrgh@gmail.com

Ref. No. : SECL/RGH/SAM/CSA/2021/ 5646

Date 30/12/2021

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
धरमजयगढ़ वन मण्डल।

Sub:- Proposal for non-forestry use of 240.867 ha (185.017 ha Revenue Forest Land + 55.850 ha Deemed Forest) forest land under Forest (Conservation) Act, 1980 for Chhal OC seam III 6 MTY project of SECL in Raigarh District of Chhattisgarh.

Ref. : (i) File No. 8-15/2021-FC, New Delhi: 110003, Dated- 11th June 2021.

(ii) क्र./मा.चि./3069 धरमजयगढ़ दिनांक 15.07.2021

(iii) मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर (छ.ग.) पत्र क्रमांक/तक./4176 दिनांक 08.07.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा वन मंजूरी प्रकरण के संबंध में तीन बिन्दुओं के संदर्भ में चाही गई जानकारी उपयोगकर्ता एजेंसी से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है :-

Sl.No.	Query	Reply
i	Status of compliance of conditions stipulated in the approval dated 22.08.2002 granted over an area of 124.54 ha for UG mining by the Ministry has not been mentioned in the proposal. Status of the same may be intimated by the State.	Compliance of conditions stipulated in the approval dated 22.08.2002 granted over an area of 124.54 ha for Dharam UG mine by the Ministry has been enclosed as annexure - 1
ii	A copy of Coal India Policy, 2012 for R&R of the PAPs has been submitted in the online proposal as R&R Plan. Proposal specific R&R Plan has not been submitted. The Mining Plan has been approved in the year 2013, therefore, State	छाल खली खदान से प्रभावित ग्राम लात के विस्थापन के लिये 13.490 हेक्टेयर भूमि गंगाधरपुर लात में एसईसीएल के द्वारा पुनर्वास स्थल के लिये चयनित किया गया था जिसमें 300 वर्ग मी., 450 वर्ग मी. एवं 600 वर्ग मी. के भू-खण्ड विस्थापित परिवारों को आवंटित किया गया है। 300 वर्ग मी. के भू-खण्ड में 45 प्रभावित परिवार, 450 वर्ग मी. में 41 प्रभावित परिवार एवं 600 वर्ग मी. के लिये 08 परिवारों को भू-खण्ड आवंटित किया गया है। ग्राम लात के कुल 329 परिवार को विस्थापित किया गया जिसमें 94 परिवारों के द्वारा भू-खण्ड लिया गया एवं 235 परिवारों द्वारा भू-खण्ड के

	Government may reconfirm if the number of PAPs has changed during the intervening period or otherwise.	एवज में मुआवजा लिया गया। पुनर्वास स्थल में 94 परिवार के लिये 3.675 हेक्टेयर भूमि का उपयोग व मुलभूत सुविधा जैसे स्कूल, डिस्पेंसरी आदि के लिये 2.200 हेक्टेयर भूमि का उपयोग हुआ। इस प्रकार 13.490 हेक्टेयर भूमि में से 5.875 हेक्टेयर भूमि उपयोग होने के बाद 7.615 हेक्टेयर भूमि शेष बचत है। शेष बचत भूमि में छाल खुली खान Scam-III परियोजना (6MTY) विस्तार परियोजना के प्रभावित व्यक्ति को पुनर्वास दिया जावेगा। कोल इण्डिया पुनर्वास नीति 2012 के तहत प्रभावित परिवार को विस्थापन हेतु चयनित पुनर्वास स्थल में प्रति परिवार को 6 डिसमिल भू-खण्ड अथवा भू-खण्ड के एवज में प्रति परिवार रु 3 लाख का प्रावधान है। छाल खुली खान Scam-III परियोजना (6MTY) विस्तार परियोजना से प्रभावित कुल 658 परिवार है। जिसमें प्रत्येक परिवार द्वारा पुनर्वास हेतु भू-खण्ड अथवा भू-खण्ड के एवज में एकमुस्त मुआवजा के लिए विकल्प का चयन दिया जिसमें 57 परिवारों द्वारा भू-खण्ड का चयन किया गया है 601 परिवारों द्वारा भू-खण्ड के एवज में एकमुस्त मुआवजा रु 3 लाख का चयन किया गया है। उक्त संबंध में प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। Enclosed as Annexure -2
iii		
a	Area of the lease estimated using KML files uploaded online is 853.19 ha against the total lease area of 1342.86 ha. Therefore, complete KML files of entire lease area needs to be uploaded online.	Complete KML files of entire lease area has been uploaded.
b	An area of approximately 0.91 ha is observed to be broken in the area proposed under the proposal. The State Government may therefore furnish its comments on the same vis-à-vis violation if any committed by the User Agency.	भारतसरकार के द्वारा चाही गई अतिरिक्त जानकारी के संबंध में मौके पर जांच किया गया, जिस में पाया गया कि 176.710 हेक्टेयर वन भूमि पर कोई भी खनन कार्य नहीं हुआ है इस वन भूमि में वन विभाग के अनापत्ति/मंजूरी के स्वीकृति के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा। अतः मौके पर कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

C	As per land use detail, total forest area of 185.155 ha is reported to be involved in the project. Another area of 55.850 ha of deemed forest land is also included in the proposal. The State Government may confirm whether the said area is included in the approved Mining Plan indicating its land use. Further said area is observed to be falling outside the mining lease boundary. Accordingly, it may be clarified by the State whether the forest area falling out side lease boundary is part of the lease area or it is in addition to lease area of the user agency.	55.850 ha. of deemed forest land is included in the approved mining plan and it is a part of lease area.																												
d	Analysis of forest land identified for CA revealed that calculated area (as per KML files submitted online) is 449.88 ha which is short of 31.854 ha than the actual requirement of 481.734 Ha	वन भूमि 240.867 हेक्टे के प्रकरण के लिए कुल 482.745 हे. CA land प्रस्तावित किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है। <table><tr><th>क्र.</th><th>वनमण्डल</th><th>परिक्षेत्रा / ग्राम</th><th>कक्ष क्र</th><th>प्रस्तावित रकबा हे. में</th></tr><tr><td rowspan="4">१</td><td rowspan="4">धरमजयगढ़</td><td rowspan="4">छाल / सिंघीझाप</td><td>498P.F. Part-1</td><td>9.166</td></tr><tr><td>498P.F. Part-2</td><td>3.218</td></tr><tr><td>498P.F. Part-3</td><td>8.133</td></tr><tr><td>498P.F. Part-4</td><td>6.522</td></tr><tr><td>२</td><td>धरमजयगढ़</td><td>छाल / सिंघीझाप</td><td>500PF</td><td>20.00</td></tr><tr><td rowspan="2">३</td><td rowspan="2">धरमजयगढ़</td><td rowspan="2">लैलूंगा / केन्दाटिकरा</td><td>222PF Part- 1</td><td>5.992</td></tr><tr><td>222PF Part- 2</td><td>22.151</td></tr></table>	क्र.	वनमण्डल	परिक्षेत्रा / ग्राम	कक्ष क्र	प्रस्तावित रकबा हे. में	१	धरमजयगढ़	छाल / सिंघीझाप	498P.F. Part-1	9.166	498P.F. Part-2	3.218	498P.F. Part-3	8.133	498P.F. Part-4	6.522	२	धरमजयगढ़	छाल / सिंघीझाप	500PF	20.00	३	धरमजयगढ़	लैलूंगा / केन्दाटिकरा	222PF Part- 1	5.992	222PF Part- 2	22.151
क्र.	वनमण्डल	परिक्षेत्रा / ग्राम	कक्ष क्र	प्रस्तावित रकबा हे. में																										
१	धरमजयगढ़	छाल / सिंघीझाप	498P.F. Part-1	9.166																										
			498P.F. Part-2	3.218																										
			498P.F. Part-3	8.133																										
			498P.F. Part-4	6.522																										
२	धरमजयगढ़	छाल / सिंघीझाप	500PF	20.00																										
३	धरमजयगढ़	लैलूंगा / केन्दाटिकरा	222PF Part- 1	5.992																										
			222PF Part- 2	22.151																										

	४	धरमजयगढ़	लैलूंगा / टंगाजोर	254 RF	12.965
	५	धरमजयगढ़	लैलूंगा / पोतरा	221 PF Part-1	3.455
				221 PF Part-2	2.248
	६	धरमजयगढ़	बाकारूमा / रैरूमा	101PF Part- 1	2.295
				101PF Part- 2	8.907
				101PF Part- 3	2.374
				101PF Part- 4	1.303
	७	धरमजयगढ़	बाकारूमा / ससकोबा	99 PF	7.515
	८	कवर्धा	रेंगाखर / धामीनडीह	342 PF	15.00
	९	कवर्धा	रेंगाखर / रामपुर	366 PF	15.00
	१०	कवर्धा	रेंगाखर / नगवाही	136 RF	15.00
	११	कवर्धा	रेंगाखर / रामपुर	133 RF	15.00
	१२	कवर्धा	रेंगाखर / नागवाही	354PF	15.00
	१३	कवर्धा	रेंगाखर / मोहनटोला	356 PF	25.00
	१४	कवर्धा	रेंगाखर / बोदलपानी	103RF	15.00
	१५	कवर्धा	रेंगाखर / लहबर	125RF	15.00
	१६	कवर्धा	रेंगाखर / दक्षिणझलमला	341PF	15.00
	१७	कवर्धा	रेंगाखर / बोदलपानी	124RF	15.00
	१८	कवर्धा	रेंगाखर / मोहनटोला	357PF	15.00
	१९	कवर्धा	रेंगाखर / मोहनटोला	355PF	15.00
	२०	कवर्धा	रेंगाखर / रेंगाखर	138RF	15.00
	२१	कवर्धा	रेंगाखर / झलमला	338PF	15.00

		<table><tr><td>२२</td><td>कवर्धा</td><td>रेंगाखार/ धामीनडीह</td><td>360PF</td><td>15.00</td></tr><tr><td>२३</td><td>कवर्धा</td><td>रेंगाखार/ झलमला</td><td>336PF</td><td>50.00</td></tr><tr><td>२४</td><td>कवर्धा</td><td>कवर्धा/धवईपानी</td><td>47RF</td><td>13.00</td></tr><tr><td>२५</td><td>कवर्धा</td><td>कवर्धा/मन्नाबेदी</td><td>81RF</td><td>10.00</td></tr><tr><td>२६</td><td>कवर्धा</td><td>कवर्धा/आमानारा</td><td>52RF</td><td>8.500</td></tr><tr><td>२७</td><td>कवर्धा</td><td>कवर्धा/सुकवापारा</td><td>47RF</td><td>13.00</td></tr><tr><td colspan="3">योग :-</td><td></td><td>482.745</td></tr></table>	२२	कवर्धा	रेंगाखार/ धामीनडीह	360PF	15.00	२३	कवर्धा	रेंगाखार/ झलमला	336PF	50.00	२४	कवर्धा	कवर्धा/धवईपानी	47RF	13.00	२५	कवर्धा	कवर्धा/मन्नाबेदी	81RF	10.00	२६	कवर्धा	कवर्धा/आमानारा	52RF	8.500	२७	कवर्धा	कवर्धा/सुकवापारा	47RF	13.00	योग :-				482.745
२२	कवर्धा	रेंगाखार/ धामीनडीह	360PF	15.00																																	
२३	कवर्धा	रेंगाखार/ झलमला	336PF	50.00																																	
२४	कवर्धा	कवर्धा/धवईपानी	47RF	13.00																																	
२५	कवर्धा	कवर्धा/मन्नाबेदी	81RF	10.00																																	
२६	कवर्धा	कवर्धा/आमानारा	52RF	8.500																																	
२७	कवर्धा	कवर्धा/सुकवापारा	47RF	13.00																																	
योग :-				482.745																																	
e	Vegetation density analysis revealed that out of 455 ha (DSS Calculated) forest land proposed for CA, 5 ha of land is characterized with Very Dense Forest, 36 Ha of land is having Moderately Dense Forest, which may not be fit for CA. The State Government therefore may re-visit their suitability for raising CA.	प्रकरण में पूर्व में धरमजयगढ़ वनमण्डल अन्तर्गत 116.245 हे. एवं बस्तर वन मण्डल में 370.034 हे. प्रस्तावित था लेकिन अब बस्तर वन मण्डल में प्रस्तावित क्षेत्र के बदले में नवीन क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र रकबा 366.500 हे. कवर्धा वन मण्डल में प्रस्तावित कर वृक्षारोपण योजना संलग्न है।																																			
f	As patches of very small size involving area 1.3 ha have been identified in Dharamjaigarh Forest Division, the State Government may therefore clarify whether such patches are contiguous to forest land or otherwise. As per the provisions of relevant guidelines minimum size of isolated patch identified for CA should be 5 ha.	CA Land के लिए चयनित प्रस्तावित कक्ष क्रमांक 101, 221 एवं 498 के बीच से रास्ता होने के कारण कक्ष को Patches में Divide किया गया। जिस कारण Patch area 05 से कम हुआ है जबकि प्रस्तावित 1.3 हेक्टे. वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 101 का भाग है।																																			

9	Plantation work has been observed in certain patches of orange forest land in Baster District. The State Government may clarify whether any plantation work has been undertaken in the past/justification for proposing such areas for CA	बस्तर वनमण्डल में प्रस्तावित 370.034 हे. CA Land के बदले में कवर्था वनमण्डल में 366.500 हे नवीन क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र प्रस्तावित कर वृक्षारोपण योजना संलग्न किया जा रहा है।
---	---	--

यह अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर प्रेषित है।

भवदीय,

30/12/2019
उपक्षेत्रीय प्रबंधक
एसईसीएल छाल उपक्षेत्र



"Under jurisdiction of Raigarh Court only"
 साउथ ईस्टर्न कोल फ़िल्ड्स लिमिटेड
SOUTH EASTERN COAL FIELDS LIMITED
 एक मिनीरतना कंपनी-A MINIRATNA COMPANY
 CIN: U10102CT1985GOI003161
 (A Subsidiary of Coal India Limited)
 Regd. Office: SEEPAT ROAD, BILASPUR (CG) 495006
 Website: www.secl.gov.in

Office of the Dy.G.M.(Min)/Sub Area Manager
CHHAL SUB AREA, RAIGARH AREA
 At/PO: Chhal, Distt: Raigarh
 Chhatishgarh PIN -496665
 Pphone - 07766-277625
 Fax -07766-277629
 Email- samchhalrgh@gmail.com

Ref. No. : SECL/RGH/SAM/CSA/2021/ 5645

Date: 30/12/2021

Compliance of the following conditions under the forest (conservation) Act 1980 for diversion of 124.54 Ha. of forest land for Dharam underground mine in favour of M/s SECL District -Raigarh.

Sl. No.	Conditions	Compliance
a.	Legal Status of forest land shall remain unchanged.	Complied.
b.	Panel compensatory afforestation shall be raised on double the degraded forest land at the cost of user agency	Total cost of Rs. 14,75,430/- has been deposited for compensatory afforestation in degraded forest land.
c.	The forest land shall not be used for any propose other than that specified in the proposal.	Complied.
d.	The user agency will abide by the various mitigatory measures including specific technical prescriptions for mining of various seams as suggested by M/s Indian School of Mines in their report so as to minimize the subsidence. the user agency will get those safeguard periodically. monitored through independent agency like ISM, Dhanbad/CMRI, Dhanbad and submit the report to the Ministry and its concerned Regional Office. However, in the event of subsidence beyond permissible limits, the user agency will pay for the damage and provide equivalent non-forest land along with funds for compensatory afforestation for the same to the State forest department within six months of its occurrence.	Only development mining by Bord and Pillar method in Dharam underground mine was practised and discontinued since Oct.2018 due to workable property exhausted, remaining property to be taken by open cast method. No subsidence was reported during the working prior to Oct. 2018. Precautions as per Director General of Mine Safety (DGMS), permissions/ guidelines were ensured.

e.	The user agency will protect the 124.54 hectare forest area by erecting a stonewall fencing on the surface and carry out gap planting wherever required in consultation with the forest department. all work will be carried out by the user agency them solve at their own cost within a reasonable period of time say 3 years.	Amount of Rs. 9,40,000/- has been deposited to DFO Dharamjaigarh vide letter no. एसईसीएल/महा.प्र./राय./सिविल/03/394 दिनांक 08.11.2003 for fencing work.
f.	The approval under the forest (conservation) Act 1980 is subject to the clearance under the Environmental protection Act 1986, if applicable.	Agreed
g.	The water used for processing shall be Discharged only after proper treatment (as specified in ISI code including BOD, COD and pH.)	Working of Dharam underground mine was permanently discontinued on dated 21.10.2018 and at present water is not being discharged from the mine to surface.
h.	The user agency will make management for free supply of coal to labourers and staff working on the project site so as to avoid any pressure on the adjacent forest area.	Cost of ^{cooking} Gas Cylinder is being provided to labourers and staff working in the project.
i.	The period of permission for lease under the forest (Conservation) Act 1980 will be for 30 years.	Agreed.
j.	Any other condition that the state Government or the Chief conservation of forest (Central), Regional Office, Bhopal may impose begin time to in the interest of conservation protection or development of forests.	Agreed.

30/12/2019
 Dy. G.M.(Min.)/SAM
 SECL, Chhal Sub Area

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत एसईसीएल धरम भूमिगत खदान अंतर्गत 124.54 हेक्टे वन का अंतिम चरण स्वीकृति पत्र क्रमांक व.सं./7983, रायपुर दिनांक 19.09.2002 के तहत शर्तों का पालन प्रतिवेदन

स.क्र.	शर्तवाली	परिपालन
1.	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा	परिपालित।
2.	आवेदक संस्थान के व्यय पर दुगने बिगड़े वन क्षेत्र पर दंडिक वृक्षारोपण किया जावेगा।	हमारे द्वारा 50 हेक्टे. वनों में दंडिक वृक्षारोपण के प्राक्कलन के अनुसार रु. 1475430/- जमा किया गया।
3.	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जावेगा।	परिपालित।
4.	कोयले के विभिन्न स्तरों में कार्य करने के कारण होने वाले घसान को कम करने के लिए में इंडियन स्कूल ऑफ माईन्स द्वारा अपने प्रतिवेदन में सुझाए गए उन सभी उपायों एवं तकनीकी प्रतिबंधों का पालन करने के लिए आवेदक संस्थान बाध्य होगा। आवेदक संस्थान एसईसीएल धरम खदान क्षेत्र द्वारा इन सुरक्षा उपायों को एक निश्चित समयानुसार एक स्वतंत्र संस्था जैसे आई.एस.एम. धनबाद/सी.एम.आर.आई धनबाद द्वारा पर्यवेक्षण करायेगा एवं उसका प्रतिवेदन संबंधित मंत्रालय एवं संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। भूमि सतह की स्थिति में होने वाली हानि का पूर्ति हेतु वन विभाग द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान संबंधित आवेदक संस्थान द्वारा किया जावेगा तथा समतुल्य गैर वन भूमि एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आवश्यक राशि भी आवेदक संस्थान द्वारा वन विभाग को उपलब्ध कराई जावेगी। साथ ही साथ उपरोक्त कार्यवाही आवेदक संस्थान द्वारा 6 (छः) माह में पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।	भूमिगत कोयला खनन कार्य Board & Pillar method के तहत केवल Development का खनन कार्य किया जा रहा था तथा De-pillaring नहीं किया गया है जिससे भूमि का सतह अप्रभावित है। खान सुरक्षा महानिदेशपालय के दिशानिर्देशानुसार पिलर छोड़ा गया है तथा छत सपोर्ट किया गया है।
5.	में एसईसीएल जिला रायगढ़ द्वारा 124.54 हेक्टे. वन भूमि के चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से स्टोन (पत्थर) फेंसिंग किया जावेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर स्वीकृत भूमि में वन विभाग के सहयोग से आवेदक संस्थान के स्वयं के व्यय पर वृक्षारोपण एवं फेंसिंग का कार्य भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित अवधि 03 वर्ष में पूर्ण कराए जावेंगे।	वन क्षेत्र 124.54 हेक्टे. वन भूमि के चारों ओर बारबेड वायर फेंसिंग कार्य हेतु राशि रु. 9,40,000/- वन मण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ को पत्र क्रमांक एसईसीएल/महा.प्र./राय. /सिविल/03/394, दिनांक 08.11.2003 के तहत जमा किया गया है। एवं फेंसिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
6.	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रदत्त यह स्वीकृति पर्यावरणीय (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986) के अन्तर्गत स्वीकृति पर आधारित होगी। यदि वह लागू होती है तो।	स्वीकृति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत नियमों के तहत कार्यान्वित।
7.	प्रोसेसिंग में उपयोग किए गए जल की निकासी उचित जल उपरान्त किया जाना सुनिश्चित करें।	धरम खदान में 21.10.2018 से कोयले का उत्पादन बंद हो गया है जिस कारण वर्तमान में कोई प्रोसेसिंग कार्य नहीं चल रहा है।
8.	आवेदक संस्थान द्वारा परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों/श्रमिकों को कोयला निःशुल्क परियोजना स्थल पर उपलब्ध कराया जावेगा ताकि निकटस्थ वनों की क्षति नहीं पहुंचे।	संस्थान में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को निःशुल्क रसोई गैस प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जाता है।
9.	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रदत्त इस स्वीकृति की अवधि दिनांक 22.08.2002 से 30 वर्ष रहेगी।	यथावत है।
10.	आवेदक संस्थान से लिखित वचन पत्र लिया जावे की यदि भविष्य में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त शर्तों के अलावा वनों के विकास, सुरक्षा, एवं संरक्षण के संबंध में अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो उन्हें मान्य होगी।	स्वीकार्य

उप महाप्रबंधक (खनन)/उपक्षेत्रीय प्रबंधक
एसईसीएल छाल उपक्षेत्र

खान प्रबंधक
छाल खुली खदान

F No R-14/97 FC
Government of India
Ministry of Environment and Forests
F.C. Division

Parvathan Bhawan,
CCO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110 003.
Dated 22.08.2002

To

The Secretary (Forests)
Government of Chattisgarh
Raipur.

Sub: Diversion of 124.54 ha. of forest land for Dharam underground mine in favour of
M/s SECL, Distt. Raigarh

I am directed to refer to Madhya Pradesh Government letter No. F-5/2/97/10/3 dated 11.10.99 and CCF (LM), Chhattisgarh letter No. LM/11/Khanij/1-112 dated 09.08.2002 on the above mentioned subject seeking prior approval of the Central Government in accordance with Section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 and to say that the proposal has been examined by the Advisory Committee constituted by the Central Government under Section 3 of the aforesaid Act.

2. After careful consideration of the proposal of the State Government and on the basis of the recommendation of the above mentioned Advisory Committee, the Central Government hereby conveys its approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of 124.54 ha. of forest land for Dharam underground mine in favour of M/s SECL, Distt. Raigarh, Chhattisgarh, subject to following conditions:

- a. Legal status of forest land shall remain unchanged
- b. Penal compensatory afforestation shall be raised on double the degraded forest land at the cost of user agency
- c. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.
- d. The user agency will abide by the various mitigatory measures including specific technical prescriptions for mining of various seams as suggested by M/s Indian School of Mines in their report so as to minimize the subsidence. The user agency will get these safeguards periodically monitored through independent agency like ISM, Dhanbad/CMRI, Dhanbad and submit the report to the Ministry and its concerned Regional Office.

However, in the event of subsidence beyond permissible limits, the user agency will pay for the damage and provide equivalent non-forest land alongwith funds for compensatory afforestation for the same to the State Forest Department within six months of its occurrence.

File
2


Dy.G.M.(M)/Sub Area Manager
Chhal Sub Area, SECL
Raigarh Area

③

- The user agency will protect the 124.54 hectare forest area by erecting a stonewall fencing on the surface and carry out sap planting wherever required in consultation with the Forest Department. All works will be carried out by the user agency themselves at their own cost within a reasonable period of time say 3 years.
- c. The approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 is subject to the clearance under the Environmental Protection Act, 1986, if applicable.
 - g. The water used for processing shall be discharged only after proper treatment (as specified in ISI code including BOD, COD and pH).
 - h. The user agency will make arrangement for free supply of coal to labourers and staff working on the project site so as to avoid any pressure on the adjacent forest areas.
 - i. The period of permission for lease under the Forest (Conservation) Act, 1980 will be for 10 years.
 - j. Any other condition that the State Govt. or the Chief Conservator of Forests (Central), Regional Office, Bhopal may impose from time to time in the interest of conservation, protection or development of forests.

Yours faithfully,

(R K GUPTA)

Assistant Inspector General of Forests

Copy to:-

1. The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Chhattisgarh, Raipur
2. Nodal Officer, Office of the Principal Chief Conservator of Forests, Government of Chhattisgarh, Raipur.
3. The Chief Conservator of Forest, Regional Office, Bhopal.
4. RO(HQ), New Delhi.
- ✓ 5. Guard file
- ✓ 6. General Manager, P.O. SECL, Seepat Road, Bilaspur, Madhya Pradesh-495001

(R K GUPTA)

Asst. Inspector General of Forests

Dhanbad/CMRI, Dhanbad and subject to the Regional Office

However, in the event of any damage to the forest area, the user agency shall be liable for the damage and for the cost of re-planting and afforestation for the same to the satisfaction of the Regional Office.

Dy.G.M.(M)/Sub Area Manager
Chhal Sub Area, SECL
Raigarh Area

उत्तीतगढ़ शासन वन एवं संस्कृति विभाग,
मंत्रालय रायपुर.

रायपुर, दिनांक 19/09/2002

क्रमांक/ज.सं/7983

प्रति,

✓ मुख्य वन संरक्षक (मू-सर्वे),
उत्तीतगढ़ रायपुर.

विषय :- रायगढ़ जिले में एस.ई.सी.एल. की धरम खदान भूमिगत रकबा 124.54 हे० वनभूमि उपयोग पर देने बाबत ।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र०/मू-सर्वे/खनिज/1495 दि० 30.8.2002

मार्ग

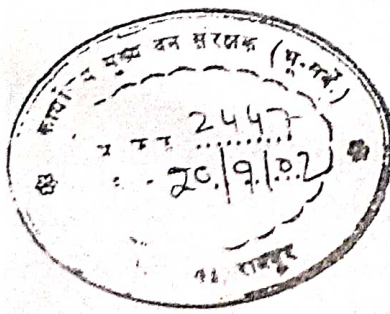
विश्यान्वित प्रकरण में संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली ने उनके पत्र क्रमांक/8-84/97 एफ.सी. दिनांक 22/8/2002 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत अंतिम चरण स्वीकृति प्रदान की है । भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर रायगढ़ जिला के अंतर्गत धरम भूमिगत खदान में कोयला उत्खनन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के तहत 124.54 हे० वनभूमि जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होता है, से कोयला उत्खनन हेतु मे० एस.ई.सी.एल. जिला रायगढ़ को निम्नलिखित शर्तों के आधार पर छ. उपयोग की अनुमति प्रदान की जाती है :-

- 1- वनभूमि का वैधानिक स्वत्व अपरिवर्तित रहेगा ।
- 2- वावेदक संस्थान के व्यय पर दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र पर दांडिक वृक्षारोपण किया जावेगा ।
- 3- वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जावेगा ।
- 4- कोयले के विभिन्न स्तरों में कार्य करने के कारण, होने वाले ध्वंस को कम करने के लिये मे० इंजिन स्कूल बाफ मार्हन्स द्वारा अपने प्रतिवेदन में सुझाये गये उन सभी उपायों एवं तकनीकी प्रतिक्रियों का पालन करने के लिये वावेदक संस्थान बाध्य होगा । वावेदक संस्थान एस.ई.सी.एल. धरम खदान क्षेत्र द्वारा इन सुरक्षा उपायों को एक निश्चित समयानुसार एक स्वतंत्र संस्था जैसे आई.एस.एम. धनबाद/सी.एम.आर.आई धनबाद द्वारा पर्यवेक्षण कराएगा एवं उसका प्रतिवेदन संबंधित मंत्रालय एवं संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेगा ।

...2...

Dy.G.M.(M)/Sub Area Manager
Chhal Sub Area, SECL
Raigarh Area

5



- भूमि सतह को नियति में होने वाली हानि का पूर्ति हेतु वन विभाग द्वारा निर्धारित राशि का भुक्तान संबंधित आवेदन संस्थान द्वारा किया जाएगा।
- अवेदन संस्थान से वन भूमि एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आवश्यक राशि की आवेदन संस्थान द्वारा वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही साथ उपरोक्त कार्यवाही आवेदन संस्थान द्वारा 6 महीने में पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।
- 5- मे0 एस.ई.सी.एल. जिला रायगढ़ द्वारा 124.54 हे0 वनभूमि के वारों और सुरक्षा की दृष्टि से स्टोनफ्लैटवर फैसिंग किया जायेगा तथा आवश्यकप्रकृति पर स्वीकृत भूमि में वन विभाग के सहयोग से आवेदन संस्थान के स्वयं के व्यय पर वृक्षारोपण एवं फैसिंग का कार्य भारत सरकार पर्या0 एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित अवधि 3 वर्ष में पूर्ण करने जायेगा।
 - 6- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रदत्त यह स्वीकृति पर्यावरणीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत स्वीकृति पर आधारित होगी। यदि वह लागू होती है तो।
 - 7- प्रोसेसिंग में उपयोग किये गये जल की निष्कासी उचित जल उपगंत किया जाना सुनिश्चित करें।
 - 8- आवेदन संस्थान द्वारा परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों/श्रमिकों को कोयला निःशुल्क परियोजना स्थल पर उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि निम्नस्थ कर्मियों को क्षति नहीं पहुँचे।
 - 9- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रदत्त इस स्वीकृति की अवधि दिनांक 22/08/2002 से 30 वर्ष रहेगी।
 - 10- आवेदन संस्थान से लिखित वचन पत्र लिया जाये कि यदि भविष्य में भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा उपरोक्त शर्तों के अलावा वनों के विकास, सुरक्षा एवं संरक्षण के संबंध में अन्य कोई शर्तें निर्धारित की जाती है तो, उन्हें मान्य होगी।

24/07/19/09/02
उप सचिव
उत्तीसगढ़ शासन रायपुर.

...3...
Dy.G.M.(M)/Sub Area Manager
Chhal Sub Area, SECL
Raiqarh Area

6

५०५०/

रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि :-

- 1- सचिव, भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली ।
 - 2- मुख्य वन सँरक्षक {५००} कार्या० ई-३/२४० अरेरा कालोनी गोपाल {५०५००}
 - 3- सचिव, छ०ग० शासन छनिज संसाधन विभाग, मंत्रालय रायपुर छ०ग० ।
 - 4- वन सँरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर छ०ग० ।
 - 5- जिला-ध्यक्ष छनिज शाखा रायगढ़ छ०ग० ।
 - 6- व०म०स०, धरमज्यगढ़ वनमण्डल मुख्यालय रायगढ़ ।
 - 7- महाप्रबन्धक एस.ई.सी.एल. रायगढ़ क्षेत्र रायगढ़ छ०ग० ।
- की ओर सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन रायपुर.

-०-

//रजब//


Dy.G.M.(M)/Sub Area Manager
Chhal Sub Area,SECL
Raigarh Area

7

पुनर्वास स्थल गंगाधरपुर लात का बसाहट नक्शा



(2)

DETAILS OF AMENITIES AND INFRASTRUCTURAL FACILITIES PROVIDED at LAT (GANGADHARPUR) REHABILITATION SITE.

TOTAL LAND ACQUIRED FOR REHABILITATION SITE – 13.490 HA.

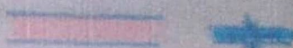
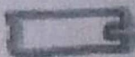
Works at Rehabilitation site. Expenditure in Rs.

● Road	– 2 Km.	18 Lakhs
● Power supply	– 8 Km.	21 Lakhs
● School Building (Building 15m x 8m)	– 40 × 40 sqr mtrs.	6.54 Lakhs
● Health Center (Building 15m x 10m)	– 40 × 30sqr mtrs.	3.15 Lakhs
● Hand pumps for water supply	– 6 Nos.	4.64 Lakhs
● Community hall (Building 16m x 10m)	– 40 × 40 sqr mtrs.	3.92 Lakhs
● Wells	– 2 Nos. – 10 mtrs deep.	1.78 Lakhs
● Pond	– 2 nos. 80 × 60 sqr. Mtrs.	4.62 Lakhs
● Play ground	– 100 × 60 sqr. Mtrs.	0.50 Lakhs
● Extra land for shops	– 100 × 20 sqr. Mtrs.	1.00 Lakhs
Boundary trenching, drainage and tree plantation.		



पुनर्वास स्थल 13.490 हेक्टेयर का विवरण

③

S.NO.	ACTIVITY	APPX. AREA (M ² /H)	REMARKS
01	DISPENSARY	40×40=1600M ²	—
02	COMMUNITY HALL	40×40=1600M ²	—
03	SCHOOL	40×60=2400M ²	—
04	PLAY GROUND	80×75=6000M ²	—
05	LAND ALLO. FOR PRIVATE SHOP	100×20=2000M ²	25 NOS.
06	GARDEN	70×50=3500M ²	—
07	POND	80×60=4800M ²	—
08	WELL	200M ² (2 NOS)	● W1
09	HAND PUMP	100M ² (8 NOS)	● H1
10	LIGHTING TOWER	100M ² (10 NOS)	● T
11	COLONY ROAD & KACHA DRAIN	2KM/10,000M ²	
12	TRANSFORMER	20M ² (1 NOS)	⊕
13	FOREST BOUNDARY	—	
14	APPLIED DEMARCATED LAND	13.490 Hc	
15	FORESTRATION DRAIN AT BOUNDARY ETC.	35000 M ²	

By G. M. (M)/Sub Area Manau
Chhal Sub Area, SECI
Raidarh Area

16 रामधन व जग साय

P6 ✓

ST

300 चर्जगीर की भूमि (खत) आवंटित

① ① ④

नाम पिता/पति का नाम	खत नं.	
1. विनोद च. कार्तिक राम	01 ✓	
2. चैतराम च पुनड	02 ✓	
3. बरामडाव च लिबन्धु	03 ✓	
4. ब्राह्मण च रामचरण	04 ✓	
5. पिरडु प्रसाद च गोबराम	05 ✓	
6. बिल्ली ठाव च निर्मल राम	06 ✓	
7. संतोष च चरवाम	07 ✓	
8. भागीराथी च बराम	08 ✓	
9. अमीबाव च निर्मल राम	09 ✓	
10. बासीराम च गोपीराम	10 ✓	
11. मनीष सिंह च सुब्बा सिंह	11 ✓	
12. राजकुमार च चनक्याम सिंह	12 ✓	
13. जगदीश च सुब्बा सिंह	13 ✓	
14. हरिभाकर च देवत सिंह	14 ✓	
15. नेहरू राम च चक्रावत	15 ✓	ST
16. रामधन च जग साय	16 ✓	ST
17. धनबाई पति सु. सिंह मन्दराव च तेजराव	17 ✓	ST
18. रवेर सिंह च पुरन सिंह	18 ✓	ST
19. गनपत च बरामडाव	19 ✓	
20. बरकर च तेजराव	20 ✓	ST
21. गुडाव सिंह च दुब्याम	21 ✓	ST
22. वेदराम च जगसिंह	22 ✓	ST

ST Dy.G.M.(M)/Sub Area Manager
Chhal Sub Area, SECI
Raigarh Area

(5)

300 वर्गमीटर की भूमि (जट) आवंटित

स.क्र.	नाम पिता/पति का नाम	प्लॉट नं.	
23	जोगी राम व मताप	23 ✓	ST
24	किशोर शाह व राम शाह	24 ✓	ST
25	कर्नल सिंह व नटवर सिंह	25 ✓	
26	बाबू नारायण व देवराज	26 ✓	ST
27	गंगेश्वर व देवराज	27 ✓	ST
28	मिहिराज व पद्मराज	28 ✓	ST
29	मनमोहन व वादुराज	29 ✓	ST
30	हेमन्त कुमार व रानीराज	30 ✓	ST
31	नाम सिंह व सुदामा	31 ✓	ST
32	कमल सिंह व बसाराज	32 ✓	ST
33	आशुतोष व नरेश सिंह	33 ✓	ST
34	महेन्द्र व मदन सिंह	34 ✓	ST
35	दिनेश्वर व महेन्द्र	35 ✓	ST
36	गुलाब व स्वच्छराम	36 ✓	ST
37	तीजराज व रामराज	37 ✓	ST
38	अशोक राम व देवराज सावित्री राम व देवराज	38 ✓	
39	लक्ष्मी प्रसाद व तेजराज	39 ✓	
40	रमणा कर्क व तेजराज	40 ✓	
41	मंगल राम व मोतराज	41 ✓	
42	कार्तिकेश्वर व तहसीब	42 ✓	
43	विमलाशर्मा पति नारायण विजयशर्मा व नारायण	43 ✓	
44	महेश्वर राम व. माला देवी	44 ✓	
45	महेश्वर राम व. लाल देवी	45 ✓	

By G.M.(M)/Sub Area Manager
Chhal Sub Area, SECL
Raigarh Area

नं.	नाम पिता/पति का नाम	छाट नं.
44	विदेही काच - व देवी काच	01 ✓
45	रतन काच - व माणीरखी	02 ✓
46	बालुराम - व धनीराम	03 ✓
47	छोटे काच - व माणीरखी	04 ✓
48	मणवतिया - व रामबक्स	05 ✓
49	टेकराम - व रामबक्स	06 ✓
50	श्याम चर्क - पति विद्याशम नेतराम - व विद्याशम	07 ✓
51	लखन - व हस्ताराम	08 ✓
52	माखन - व हस्ताराम	09 ✓
53	रुझी राम - व मुनुराम	10 ✓
54	नटवर सिंह - व धनसिंह	11 ✓
55	कुष्ठा सिंह - व धनसिंह	12 ✓
56	सपुतन सिंह - व धनसिंह	13 ✓
57	धनबख्श सिंह - व धनसिंह	14 ✓
58	टंकेबवर सिंह - व हरिसिंह	15 ✓
59	नटपु सिंह - व हरि सिंह	16 ✓
60	ओपानंद सिंह - व हरि सिंह	17 ✓
61	मुनु सिंह - व मण्डकाच	18 ✓
62	जोत राम - व बेना राम बसमारु - व बेना राम	19 ✓
63	भुरील राम - व परबु राम	20 ✓
64	सुमीरा चर्क - व देवसिंह	21 ✓
65	सनत राम - व पाफा राम	22 ✓
66	लीन राम - व बोधी राम	23 ✓
67	फिरन राय - व मणोराम	24 ✓

By G.M.(M)/Sub Area Manager
Chhal Sub Area, SECL
Raiqarh Area

450 रागमिटर की क्षमता (एचएल) आवंटित

(2)

क्र.सं.	नाम पिता/पति का नाम	जन्म	श्रेणी
68	बिन्हासो बार्ड व कृष्ण राम	25/	ST
69	जोह सिंह व बकरी	26/	ST
70	जोधन सिंह व चम्पूमान	27/	ST
71	कसंत राम व प्रेम सिंह	28/	ST
72	समसेन व जीवनानाथ मोहित राम व मिश्र नाथ	29/	ST
73	मोहन सिंह व राम दयाल	30/	ST
74	बीवना बार्ड पति गजराज सिंह गंगा राम व गजराज सिंह	31/	ST
75	दिधीप व इन्द्रजीत सुखरा बार्ड व दिधीप सिंह	32/	ST
76	मनीराम व लज्जती देवी	33/	ST
77	गजबल्ल व मनपत	34/	ST
78	नगदेव व लेख सिंह	35/	ST
79	पट्टर सिंह व चक्र सिंह कुटेरी बार्ड पति चक्र सिंह	36/	ST
80	दापु राम व जगत राम दुरपात्री व दादू राम	37/	ST
81	भवन ठाकुर व जनपत	38/	ST
82	अमर सिंह व चक्र सिंह	39/	ST
83	विद्या राम व सुन्दरा	40/	ST
84	बाबू राम व धोबी राम	41/	ST
85	बीमराज सिंह व धोबी राम	42/	ST

600 रागमिटर की क्षमता (एचएल) आवंटित

85	जगमोहन व जीवनानाथ	01/	
86	गजेराम व गंभीर राम	02/	ST
87	गणेश राम व धन सिंह	03/	ST
88	पेदराम व लालुराम	04/	ST
89	बल्लू सिंह व जून सिंह	05/	ST
90	बाबेराम व पुरन सिंह	06/	ST
91	भानुप्रताप व देव राम	07/	ST

By: (M)/Sub Area Manager
Chhal Sub Area, SECL
Raigarh Area

प्रस्तावित चाल रकमों रकमान से प्रभावित परिवारों
की भूमि के बंदले 50,000/- का नगद भुगतान
भुगतान /

मि

[Signature]

भुगतान किया
PAID

प्रस्तावित चाल रकमों रकमान से प्रभावित परिवारों
की भूमि के बंदले 50,000/- का नगद भुगतान
भुगतान /

Dy.G.M.(M)/Sub Area Manager
Chhal Sub Area, SECL
Raiqarh Area

स्थापित जाल खुली कोयला खदान से प्रभावित होने वाले परिवारों की सूची

प्रो. बराहट हेतु जमीन का एकाज में रु. 500000 / मुआवजा मुपतान प्राप्त कर रहे हैं।

क्र.सं.	पट्टा का सूची क्र.	एरा व सी एर मकान नं.	नाम	पिता/पति का नाम	जाति	लिंग	आय	कम कमान / दिनांक	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	3	3	चमराराम	मथाराम	कवर	पु.	70	065865 09-3-06	
2	8	6.39	उर्मिलाबाई अनेतकुमार	नरसिंह नरसिंह	कवर	म. पु.	40 23	065866 09-3-06	
3	9		मोहनसिंह	चैतनसिंह	क.		40	065867 09-3-06	मोहन
4	10	10	रेशमलाता	पाराराम	कवर		5	065868 09-3-06	रेशमलाता
5	11		पंचुराम	उदय मुपतान किया	कवर		1	065869 09-3-06	पंचुराम
6	13	13	अमनसिंह	अनन्दराम			5	065870 09-3-06	अमनसिंह
7	14	14	सुनन्दबाई	पाराराम	क.	म.	40	065871 09-3-06	सुनन्दबाई
8	15	15	चरणसिंह	अनन्दराम				065872 09-3-06	चरणसिंह
9	18	18	लालाराम	दयासिंह	कवर			065873 09-3-06	लालाराम
10	19	19	बुधोबाई	तुलीराम	कवर			065874 09-3-06	बुधोबाई
11	21	21	श्यामलाल	हरसिंह	कवर	म.	38	065875 09-3-06	श्यामलाल

By G.M.(M)/Sub Area Manager:
Chhal Sub Area, SECL
Raigarh Area

22	पुनाह गाँव सुरोती लाल	दुखीराम दुखीराम	कवर	पु.	50 10	0658716 09-3-06	
23	गौरीशंकर	गौरीशंकर	कवर	पु.	20	0658717 09-3-06	गौरीशंकर
24/1	तेजराज	नेगीराम	कवर	पु.	53	0658718 09-3-06	
25	नावमोती	जठराम	कवर	पु.	54	0658719 09-3-06	
27	परमानन्द	सगाराज	कवर	पु.	55	0658720 09-3-06	परमानन्द
28	त्रिभुवन	सुन्दरसाय	कवर	पु.	56	0658721 09-3-06	
29	सताराम	सुकदेव	कवर	पु.	57	0658722 09-3-06	
30	कुलासिंह	भुगदेव	कवर	पु.	38	0658723 09-3-06	
31	रतनासिंह भुगसाज	कविशंकर	कवर	पु.	32	0658724 09-3-06	रतनासिंह
32	सज्जद	लालसिंह	कवर	पु.	33	0658725 09-3-06	
33	अनवरसिंह	सुखदेव	कवर	पु.	34	0658726 09-3-06	अनवरसिंह
34/1	भारतलाल	अंतराम	कवर	पु.	35	0658727 09-3-06	भारतलाल
35	महेन्द्रकुमार	कुलसिंह	कवर	पु.	36	0658728 09-3-06	महेन्द्रकुमार
36	देवराज	नारायण	कवर	पु.	37	0658729 09-3-06	
37	चैतराम	लालसिंह	कवर	पु.	38	0658730 09-3-06	
38/2	हरिहर सिंह	लाल	कवर	पु.	39	0658731 09-3-06	हरिहर सिंह
38/3	हेमसिंह	हरिसिंह	कवर	पु.	40	0658732 09-3-06	

Dr. G.M. (M)/Sub Area Manager
Chhal Sub Area, SECL
Raigarh Area

40	जयसिंह	पट्टा	...	...	...	...	...	...	...
42/1	सतीश	...	...	...	...	...	...	...	...
43	पतिराम	हृदयराज	...	...	...	...	...	...	...
44	गंगादाई	सिद्धारसिंह	...	...	...	...	...	...	...
45	राजाधाम	सिद्धारसिंह	...	...	...	...	...	...	...
46	सिद्धाराम	हृदयराज	...	...	...	...	...	...	...
47	भानसिंह	सिद्धाराम	...	...	...	...	...	...	...
48	शक्तिराम	काठु...	...	...	...	...	...	...	...
49	राजेशदाई	जयसिंह	...	...	...	...	...	...	...
50	विजयराज	विजयराज	...	...	...	...	...	...	...
51	जयसिंह	भुजराज	...	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...	...	...


 J.V.G. M.A./Sub Area Manager
 Ohhal Sub Area, SECL
 Raigarh Area

73	प्रताप	हेमराज	कवर	पु	40	069110	
74/1	जगधन	हीरासिंह	कवर	पु	37	069112	
74	74/2	हीरासिंह	रायडोकरा	कवर	पु	65	069113 03-3-06
76	76/1	बहारसिंह	जोतराम	कवर	पु	22	069114 03-3-06
76	76/2	जोतराम	हीरासिंह	कवर	पु	40	069115 03-3-06
76	76/3	लक्ष्मणसिंह	रायडोकरा	कवर	पु	42	069116 03-3-06
77	77	मोहनसिंह	सदाराम	कवर	पु	22	069117 03-3-06
78	78/1	रामसिंह	हेमराज	कवर	पु	40	069118 03-3-06
78	78/2	जयसिंह	जेठलाल	कवर	पु	75	069119 03-3-06
		मुगलान	किशोर				
		PAID					
79	79/1	नरेश	गणेशराम	कवर	पु	18	069120 03-3-06
79	79/2	भवानीलाल	गणेशराम	कवर	पु	22	069121 03-3-06
86	86	पानूराम	जगपाल	कवर	पु	39	069122 03-3-06
88	88	रवगश्वरप्रसाद	पानूराम	कवर	पु	19	069123 03-3-06
87	87/1	जगजसूर	रामराज	कवर	पु	40	069124 03-3-06
88	88/1	मोहनसिंह	जगधन	कवर	पु	49	069125 03-3-06
88	88/1	यशु उमार	रामजीलाल	कवर	पु	40	069126 03-3-06
89	89/3	दशरथ	गणेशराम	कवर	पु	40	069127 03-3-06

Uy.G.M.(M)/Sub Area Manage
Chhal Sub Area, SEC
Raigarh Area

Uy.G.M.(M)/Sub Area Manage
Chhal Sub Area, SEC
Raigarh Area

80	90	90	समारी	बलीधर	तेली	पु	40	069128 09-3-06
81	91	91	पुराइनबाई	छेदीलाल	तेली	पु	40	069129 09-3-06
85	92	92	परदेशी	छेदीलाल	तेली	पु	41	069130 09-3-06
86	93	94, 95, 96	भागीरथी वरुणसिंह	बालकराम भागीरथी	तेली	पु	74 54	069131 09-3-06
87	94	94, 95, 96	ईश्वरीलाल	वरुणसिंह	तेली	पु	26	069132 09-3-06
88	95	94, 95, 96	भवानीलाल	वरुणसिंह	तेली	पु	32	069133 09-3-06
89	96	98, 99	कार्तिकराम	भागीरथी	तेली	पु	45	069134 09-3-06
70	102	102/2	जात्रा बाई	गनीराम	तेली	पु	55	069135 09-3-06
71	103	105	सुरीला अयन	रामचरण रामचरण	तेली	पु	46 19	069136 09-3-06
72	104	106/2	सुरीराम भुगलाल विमा	भगवतिया भुगलाल विमा	तेली	पु	43	069137 09-3-06
73	105	105/2	सोनसार	सतराम	तेली	पु	18	069138 09-3-06
74	107	107	मालिकराम	भगवतिया	तेली	पु	41	069139 09-3-06
75	108	108	बालाराम	रामचरण	तेली	पु	54	069140 09-3-06
76	109	109/2	शिवराम	शिवराम	तेली	पु	16	069141 09-3-06
77	110	110/1	शिवराम	शिवराम	तेली	पु	20	069142 09-3-06
78	110	110/2	नवरतन	रामचरण	तेली	पु	17	069143 09-3-06
79	111	111	प्राणमति	प्राणमति	तेली	पु	16	069144 09-3-06

Dr. G.M. (M)/Sub Area Manage
Chhal Sub Area, SECI
Raigarh Area

1-10/11/11
STAFF OFFICER I.P.
CHCL. RA GARH AREA

112	दिलयन्धु	आनंद राम	तेली	पु	40	069146	09-3-06	
113	सुन्दर लाल	दिलयन्धु	तेली	पु	40	069147	09-3-06	
114	बाबुलाल	दिलयन्धु	तेली	पु	38	069148	09-3-06	
115	118/1	होरालाल	काशीराम	तेली	पु	28	069149	09-3-06
116	118/2	इश्वरलाल	काशीराम	तेली	पु	20	069150	09-3-06
117	117	गोटीराम	पहरसिंह	तेली	पु	39	069151	09-3-06
118	118	मोतीराम	पहरसिंह	तेली	पु	65	069152	09-3-06
119	119/1	गोपीराम	पहरसिंह	तेली	पु	84	069153	09-3-06
120	119/2	रामलाल	अबूराज	तेली	पु	29	069154	09-3-06
121	120/1	काशीराम	गोपीराम	तेली	पु	40	069155	09-3-06
122	120/2	विताम्बर	काशीराम	तेली	पु	30	069156	09-3-06
123	121/1	सरजूलाल	काशीराम	तेली	पु	20	069157	09-3-06
124	121/2	जनपद	गोपीराम	तेली	पु	45	069158	09-3-06
125	123/1	कानिजा	श्रीमती	तेली	पु	25	069159	09-3-06
126	124	उमाबाई	बल्लोराम	तेली	पु	45	069160	09-3-06
127	125	जतिन्दर	मनूराम	तेली	पु	40	069161	09-3-06

Dy.G.M.(M)/Sub Area Manager
Chhal Sub Area, SECL
Raigarh Area

6/1/2
Supd. Chhal Sub Area
Raigarh Area

	120		उदयराज	बलाराम	तेली	पु	30	069163	09-3-06	2000
	127	127/1	ललित	अकिण्ण	तेली	पु	30	069164	09-3-06	
99	127	127/2	श्यामकुमार	अक्षाराम	तेली	पु	30	069165	09-3-06	
100	129	129	गिरधारी	निभयराम	तेली	पु	40	069166	09-3-06	
101	132	132	छन्नुलाल	निभयराम	तेली	पु	30	069167	09-3-06	
102	135	135	सेतराम	विद्याराम	तेली	पु	22	069168	09-3-06	
103	138	138/1, 248	कन्हैयालाल	हीछाराम	कथर	पु	51	069169	09-3-06	
104	138	138/2	लालकी	चैतराम	कथर	म	30	069170	09-3-06	
105	139	139/1	समरथ	भुजबल	तेली	पु	57	069171	09-3-06	
106	140	140	रत्नमित्र	जोधाराम	कथर	म	65	069172	09-3-06	
107	141	141/1	हंसतराम	भुजबल	तेली	पु	55	069173	09-3-06	
108	142	142/1	रोहितकुमार	लक्ष्मीचंद	कथर	पु	35	069174	09-3-06	
109	143	143	सोनकुवर महेश्वर	जुगलाल	कथर	म	60	069175	09-3-06	
110	145	145/2	बुद्धकुवर	हरिसिंह	पनिका	म	56	069176	09-3-06	
111	147	147/1	मुकुलदास	गतराम	कथर	पु	38	069177	09-3-06	
112	147	147/2	धुलीलाल	भगतराम	कथर	पु	30	069178	09-3-06	
113	148	148/1	रामकुमार	बुद्ध	कथर	पु	30	069179	09-3-06	

Dy.G.M.(M)/Sub Area Manage
Chhal Sub Area, SECL
Raigarh Area

SECL RAIGARH AREA

(291)									
3	4	5	6	7	8	9	10		
148/2	युदचंद	कुजराग	कवर	पु	21	069180	09-3-06		
148/3	रामेश्वर	युदचंद	कवर	पु	22	069180	09-3-06		
149/2	धुनारू	पुरुषोत्तम	कवर	पु	27	069181	09-3-06		
150/1	तेजराम	बुदुगसिंह	कवर	पु	41	069182	09-3-06		
150/1	नुरेन्द्र	तेजराम	कवर	पु	20	069183	09-3-06		
150/2	बुदुगसिंह	मकुन्दराम	कवर	पु	64	069184	09-3-06		
150/2	नरेन्द्र	तेजराम	कवर	पु	20	069185	09-3-06		
150/3	रमेश कुमार	तेजराम	कवर	पु	22	069186	09-3-06		
151	रामलाल	बुदुगसिंह	कवर	पु	54	069187	09-3-06		
153	मुशोराम	सोहन	कवर	पु	80	069188	09-3-06		
153	रमेश कुमार	मुशोराम	कवर	पु	22	069189	09-3-06		
154	श्यामलाल	बाधूराम	कवर	पु	20	069190	09-3-06		
155/2	मंगलाबाई	दुवणज	कवर	पु	29	069191	09-3-06		
156/1	ललितकुमार	मुशोराम	कवर	पु	35	069192	09-3-06		
156/2	लालकुमार	मुशोराम	कवर	पु	32	069193	09-3-06		
156/3	श्याम कुमार	मुशोराम	कवर	पु	25	069194	09-3-06		
157/1	शोभित	मंगलाबाई	कवर	पु	45	069195	09-3-06		

Dy.G.M.(M)/Sub Area Manage
Chhal Sub Area,SECI

3	4	5	6	7	8	9	10
157/1	बोटलाल	मंगतराम	कवर	पु	27	069196	09-3-06
157	157/2	प्रभात	मोहितराम	कवर	पु	28	069197 09-3-06
158	158	कमला साई	पंचराम	कवर	पु	45	069198 09-3-06
160/1	सनिरोबाई	माधुराम	कवर	म	61	069199 09-3-06	
180/2	जगलाल	युधवारु	कवर	पु	33	069200 09-3-06	
181/1	जैठकुवर	देवसिंह	कवर	म	50	069201 09-3-06	
181/2	सुखसिंह	साधूराम	कवर	पु	48	069202 09-3-06	
182/1	घंतराम	मंगलसिंह	कवर	पु	33	069203 09-3-06	
182/2	किरतीकुमार	भुजलाल	कवर	पु	31	069204 09-3-06	
163	ठंडाराम	शिवलाल	कवर	पु	49	069205 09-3-06	
184/1	सहसराम	दादुराम	कवर	पु	52	069206 09-3-06	
184/2	समारी बाई	साधूराम	कवर	म	51	069207 09-3-06	
185/1	हेमसिंह	कदूतरसिंह	कवर	म	65	069208 09-3-06	
185/2	मथुराम	शिव	कवर	पु	20	069209 09-3-06	
189/1	सुन्दर साह	बलराम	कवर	पु	35	069210 09-3-06	
189/1	रत्न	मंगतराम	कवर	पु	37	069211 09-3-06	

By G.M.(M)/Sub Area Manager:
Chhal Sub Area, SECL
Raigarh Area

6/3/06
6/3/06
SECL RAIGARH AREA

169	170	170/2	जगसाय	धेतान	कवर	पु	36	069213	09-3-06	
170	170		हीरासिंह	धेतान	कवर	पु	50	069214	09-3-06	
170	170	170	सतोप	हीरासिंह	कवर	म	28	069215	09-3-06	सतोपकुमार
171	171	171/1	भूषणसिंह	दिलीप सिंह	कवर	पु	36	069216	09-3-06	भूषण
171	171	171/2	मोहनसिंह	दिलीपसिंह	कवर	पु	33	069217	09-3-06	मोहन
173	173	173/1	दिलबन्धु	विमल सिंह	कवर	पु	22	069218	09-3-06	दिलबन्धु
173	173	173/2	विमला सिंह	पुनीराम	कवर	पु	47	069219	09-3-06	विमल
173	173	173/3	सुरुराम	विमलसिंह	कवर	पु	22	069220	09-3-06	सुरुराम
174	174	174/1	सुकलाल	जगराम	कवर	पु	54	069221	09-3-06	सुकलाल
174	174	174/1	रामकुमार	सुकलाल	कवर	पु	34	069222	09-3-06	रामकुमार
174	174	174/2	रामकुमार	सुकलाल	कवर	पु	20	069223	09-3-06	रामकुमार
174	174	174/3	छविलाल	जगराम	कवर	पु	38	069224	09-3-06	छविलाल
174	174	174/4	आनंदकुमार	छविलाल	कवर	पु	18	069225	09-3-06	आनंद
174	174		द्रोपती	आनंदकुमार	कवर	म	18	069226	09-3-06	द्रोपती
178	178	178/2	हेतराम	पुरजाम	कवर	पु	55	069227	09-3-06	हेतराम
179	179	179	पादप्रसाद	सखाराम	कवर	पु	41	069228	09-3-06	पादप्रसाद
183	183	183	सखाराम	सखाराम	कवर	पु	34	069229	09-3-06	सखाराम
183	183	183/2	मनोराम	सखाराम	कवर	पु	37	069230	09-3-06	मनोराम

Uy.G.M.(M)/Sub Area Manage
Chhal Sub Area,SECI
Raigarh Area

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
186	188	188	छविसिंह	धनसिंह	राजारा				0692220
187	188	196/1	ठाकुरराम	डोय. 1	कवर	पु	48		0692231
188	188	196/2	सालिकराम	ठाकुरराम	कवर	पु	19		0692232
189	188	197	कन्हैया	सालिकराम	कवर	पु	28		0692233
190	188	199	धनकुमार	मंगलसिंह	कवर	पु	22		0692234
191	188	199	घासीराम	बुद्धवाराम	कवर	पु	15		0692235
192	188	202/2	बुद्धवाराम	नान्हीराम	कवर	पु	24		0692236
193	188	202/3	कीर्तन	गाड़ाराम	कवर	पु	31		0692237
194	188	204/1	आर्तिकराम	गद्विहाराम	कवर	पु	32		0692238
195	188	204/2	फूलसिंह	थानाराम	कवर	पु	47		0692239
196	188	204/3	सुखसिंह	थानसिंह	कवर	पु	77		0692240
197	188	205	गुणलाल	थानसिंह	कवर	पु	40		0692241
198	188	206/1	मोहनलाल	मोहनसिंह	कवर	पु	18		0692242
199	188	206/2	दशराम	मोहनसिंह	कवर	पु	18		0692243
200	188	206/3	हमसगर	मोहनसिंह	कवर	पु	18		0692244
201	188	209	धनश्वर	मोहनसिंह	कवर	पु	30		0692245
202	188	210	कमल	मोहनसिंह	कवर	पु	30		0692246

Dy.G.M.(M)/Sub Area Manage
 Chhal Sub Area, SECL
 Raigarh Area

183	210	210	रधुराम	गोरखलाल	नगर	प	18	069254	09-3-06	रधुराम
184	211	211	श्यामकुमार	धमारसिंह	नगर	पु	20	069258	09-3-06	श्यामकुमार
185	212	212	कार्तिकराम	इ. ल. त.	नगर	पु	19	069259	09-3-06	कार्तिकराम
186	215	215/1	कुटोलीबाई	धमारसिंह	नगर	म	40	069250	09-3-06	कुटोलीबाई
188	215	215/2	छत्तरसिंह	धमारसिंह	नगर	पु	40	069251	09-3-06	छत्तरसिंह
187	216	216	संतुराम	बालकृष्ण	नगर	पु	10	069252	09-3-06	संतुराम
188	219	219	मोहित	परसूराम	कैवट	पु	56	069253	09-3-06	मोहित
189	221	221	गोविन्द	गोहित	कैवट	प	35	069254	09-3-06	गोविन्द
190	224	224	लोशिल्या	गोहरा	नगर	प	40	069255	09-3-06	लोशिल्या
191	227	227/1	जीवनसिंह	नगर	नगर	प	26	069256	09-3-06	जीवनसिंह
192	230	230	कुडासिंह	गोहरा	नगर	प	24	069257	09-3-06	कुडासिंह
193	232	232	अमृतसिंह	परसूराम	नगर	पु	27	069258	09-3-06	अमृतसिंह
194	233	233	फुलोबाई	शिवलाल	कैवट	म	56	069259	09-3-06	फुलोबाई
195	234	234	दीनलाल	गोहरा	नगर	प	24	069260	09-3-06	दीनलाल
196	235	235	प्रमोदनाथ	गोहरा	नगर	प	27	069261	09-3-06	प्रमोदनाथ
197	236	236/1	राधा	गोहरा	नगर	प	24	069262	09-3-06	राधा
198	238	238	राणासाह	गोहरा	नगर	प	24	069263	09-3-06	राणासाह

By G.M. (M)/Sub Area Manager
Chhal Sub Area, SECL
Raiqarh Area

RECEIVED
SECL, RAIGARH

206

2	3	4	5	6	7	8	9
240	240	तारासिंह	रातुराम	गोवर	पु	31	069264 09-3-06
241	241	परदेशी	नेगीराम	गोवर	पु	30	069265 09-3-06
242	242/2	रामप्रसाद	सुगदा	गोवर	पु	37	069266 09-3-06
246	249	सखाराम	भगहराम	तली	पु	40	069267 09-3-06
250	250	दुष्यंतकुमार	उसतराम	तली	पु	20	069268 09-3-06
252	253	पंचराम	गोपीराम	तली	पु	50	069269 09-3-06
253	253	शिवकुमार	पंचराम	तली	पु	32	069270 09-3-06
255	255	शिवकुमार	भागीरथी	तली	पु	16	069271 09-3-06
256	256	बल्लाराम	मुनुराम	तली	पु	57	069272 09-3-06
258	258	उर्मिला	घासीदास	तली	पु	36	069273 09-3-06
259	259/1	रामकुमार	धोवराम	तली	पु	43	069274 09-3-06
259	259/1	श्यामबाई	बनमाली	तली	पु	32	069275 09-3-06
259	259/1	मुनीलकुमार	रामकुमार	तली	पु	25	069276 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तली	पु	23	069277 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तली	पु	23	069278 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तली	पु	23	069279 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तली	पु	23	069280 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तली	पु	23	069281 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तली	पु	23	069282 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तली	पु	23	069283 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तली	पु	23	069284 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तली	पु	23	069285 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तली	पु	23	069286 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तली	पु	23	069287 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तली	पु	23	069288 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तली	पु	23	069289 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तली	पु	23	069290 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तली	पु	23	069291 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तली	पु	23	069292 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तली	पु	23	069293 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तली	पु	23	069294 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तली	पु	23	069295 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तली	पु	23	069296 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तली	पु	23	069297 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तली	पु	23	069298 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तली	पु	23	069299 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तली	पु	23	069300 09-3-06

Dr. G.M. (M)/Sub Area Manager:
Chhal Sub Area, SECL
Raigarh Area

Dr. G.M. (M)/Sub Area Manager:
Chhal Sub Area, SECL
Raigarh Area

203	263	मंगलसिंह	रत्नसिंह	कदर	पु	20	069284 09-3-06	सोनी
205	265	सीताराम	सीताराम	तेली	पु	20	069285 09-3-06	सोनी
220	266	पुनीम	भागीरथी	तेली	पु	43	069286 09-3-06	सोनी
221	267	पुनीराम	फिरतराम	तेली	पु	42	069287 09-3-06	सोनी
222	268	विश्राम	मनबोध	अधरिय	पु	35	069288 09-3-06	सोनी
223	269	गनाराम	गिरता	कदर	पु	50	069289 09-3-06	सोनी
224	273	प.मरुत अजमेरी	देवकी राजमेरी	कदर	पु	70 32	069290 09-3-06	सोनी
225	274	पानिकराम	पुखराम	कदर	पु	50	069291 09-3-06	सोनी
226	275	सुन्दरसाय	मनबोध	कदर	पु	50	069292 09-3-06	सोनी
227	276	नारायणसिंह	रत्नसिंह मुजफ्फर	कदर	पु	40	069293 09-3-06	सोनी
228	277	पानसीराम	सदराम	कदर	पु	30	069294 09-3-06	सोनी
229	278	देवसिंह	सुखराम	कदर	पु	60	069295 09-3-06	सोनी
230	279	कदर	रत्नसिंह	कदर	पु	21	069296 09-3-06	सोनी
231	280	सतोय कुमा	रत्नसिंह	कदर	पु	25	069297 09-3-06	सोनी
232	281	खदकराम	विशाल	कदर	पु	70	069298 09-3-06	सोनी
233	282	गिरजासिंह	गिरजासिंह	कदर	पु	20	069299 09-3-06	सोनी
234	284	गहवाल	भागीरथी	कदर	पु	20	069300 09-3-06	सोनी
235	285	सुमनसाय	देवकी	कदर	पु	20	069301 09-3-06	सोनी

(Dy.G.M.(M))/Sub Area Manager
Chhal Sub Area, SECL
Raiqarh Area

SECL OFFICER (P.S.)
SECL, RAIQARH AREA